Rs.5 भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES
Rs.5 INDIA FIVE RUPEES
कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 INDIA सत्यमेव जयते बीस रुपये TWENTY RUPEES

80

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग / 3731 – I – 15

लखन सिंह धाकड़ एड. द्वारा आज दि. 16.11.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

16.11.15
(Lakhan Singh Dhakad Adv.)

प्रकरण क्र. / 2015 निगरानी

1– दिनेश कुमार सेन
2– सुरेश सेन पुत्रगण परमासेन
निवासीगण – ग्राम उत्तमाखेडी, तहसील गुलावगंज, जिला विदिशा म.प्र. .... आवेदकगण

बनाम

1– शिवराजसिंह पुत्र मुंशीलाल दॉगी
2– जितेंद्र पुत्र महेन्द्र सिंह दॉगी
निवासीगण – ग्राम उत्तमाखेडी, तहसील गुलावगंज, जिला विदिशा म.प्र. .... अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय ग्यारसपुर जिला विदिशा के प्रकरण क्र. 69/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है :–

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, विवादित कृषि भूमि सर्वे क्र. 188/5, सर्वे क.190/1, सर्वे क. 203/3, सर्वे क. 203/2 भूमि ग्राम उत्तमाखेडी , तहसील गुलावगंज

(80)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3731-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	